पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

M/s Gail (India) Ltd द्वारा laying of Natural Gas Transportation Pipeline for Haridwar-Rishikesh-Dehradun Pipeline Section हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (MoEf&CC) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये है, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 यथासंशोधित 17.04.2015 के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:—

1. जिलाधिकारी, जनपद, देहरादून या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बन्धित जना समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25—सुभाष रोड, देहरादून; मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून; क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई—115, नेहरू कालोनी, देहरादून; कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून; कार्यालय जिला पंचायत, देहरादून; जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून के कार्यालय में उपलब्ध है जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

M/s Gail (India) Ltd द्वारा laying of Natural Gas Transportation Pipeline for Haridwar-Rishikesh-Dehradun Pipeline Section हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई **दिनांक 01.09.2021 को प्रातः 11:00 बजे से O/o Block Development Officer, Meeting Hall, Tahsil-Doiwala, Distt-Dehradun में कोविड—19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।**

अतः सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियाँ एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई—115, नेहरू कालोनी, देहरादून में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की